

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/1994/अलेसे-III/10192-197

दिनांक:- 28-07-2015


आदेश संख्या 75 /2015-16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में श्री विमलेश कुमार शर्मा कनिष्ठ लेखाकार मेरिट नं. 169/1994 (लिंग नं. 5998) को, जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, दिनांक 19.02.2014 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) में ग्रेड पे 4200/- पर एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसार ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती है।

श्री शर्मा को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की गई हैं।

श्री विमलेश कुमार शर्मा के वर्ष 2006-07 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं तथा पूर्व में इन्हें द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है तथा ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरुद्ध फोजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं गत 7 वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/1994/अलेसे-III/10192-197

दिनांक:- 28-07-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि श्री विमलेश कुमार शर्मा कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में प्राप्त होने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 में यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)